नैक (NAAC) द्वारा "A" ग्रेड प्राप्त

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

जनसंपर्क विभाग- Ph./Fax: 07152-252651 मो.9960562305 इ-मेल: mgahvpro@gmail.com

वेबसाइट : www.hindivishwa.org

हिंदी विश्वविद्यालय में 'डिप्लोमा इन टेक्स्टाइल टेक्नोलॉजी' पाठ्यक्रम एमगिरी और गिमाटेक्स के साथ किया अनुबंध

वर्धा दि. 20 नवंबर 2015: महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में 'एक वर्षीय डिप्लोमा इन टेक्स्टाइल टेक्नोलॉजी' का पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मिल गयी है। इस पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय ने वर्धा स्थित महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान, एमगिरी और गिमाटेक्स इंडस्ट्रिज प्रा. लि. हिंगणघाट से अनुबंध भी कर लिया है। हाल ही में कुलपति प्रो. गिरीश्वर मिश्र एवं एमगिरी के निदेशक डॉ. प्रफुल्ल काले की उपस्थिति में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गये है। इस अवसर पर प्रतिकुलपति प्रो. चित्तरंजन मिश्र, कुलसचिव डॉ. राजेंद्र प्रसाद मिश्र, सहायक कुलसचिव राजेश अरोड़ा, पटनायक प्रमुखता से उपस्थित थे।

विदर्भ का क्षेत्र कपास के उत्पादन में अव्वल है और यहां कपास आधारित कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए विश्वविद्यालय ने डिप्लोमा इन टेक्स्टाइल टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम शुरू किए जाने के संदर्भ एक प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामुदायिक कॉलेज योजना के अंतर्गत इस पाठ्यक्रम को संचालित करने की अनुमति विश्वविद्यालय को दी है। विभिन्न वर्गों के 12वीं पास छात्र जो किसी कारणवश आगे की

शिक्षा लेने में असमर्थ हैं, उन्हें इस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा। विद्यार्थियों को प्रतिमाह एक हजार रुपये छात्रवृत्ति भी दी जाएगी।

पाठ्यक्रम के बारे में कुलपति प्रो. गिरीश्वर मिश्र ने बताया कि विदर्भ क्षेत्र कपास की उत्पादकता के लिए जाना जाता है और ऐसे में इस पाठ्यक्रम की अहमियत अधिक बढ़ जाती है। टेक्स्टाइल कंपनियों में काम करने वाले कुशल कारिगर और कर्मियों के अलावा इस क्षेत्र में रोजगार पाने के इच्छुक छात्रों को इस पाठ्यक्रम का लाभ मिल सकता है। पाठ्यक्रम पूर्णतया उद्योग और स्वरोजगार आधारित है। यानी छात्र या तो टेक्स्टाइल तथा इससे जुड़ी कंपनी में काम कर सकता है या स्वयं अपना उद्योग भी शुरू कर सकता है। उन्होंने कहा कि विदर्भ क्षेत्र में स्थापित होने वाले टेक्स्टाइल पार्क, वर्तमान टेक्स्टाइल मिल और कपड़ा उद्योगों के साथ समन्वय बनाया जाएगा ताकि इन उद्योगों को लगने वाले आवश्यक कुशल कर्मी तैयार किए जा सके।

पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं उत्तीर्ण रखी गयी है और प्रवेश की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2015 रखी गयी है। इस रोजगार और स्वरोजगार आधारित पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में प्रवेश लेने की अपील पाठ्यक्रम संयोजक डॉ. मनोज राय ने की है।